मु.नं.–58 / 2021 GCMS ID-2021/99 ता.रजु–09.07.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

कैलाश चंद वर्मा निवासी बी–23, जय जवान अपार्टमेंट, विद्याधर नगर, सैक्टर–1, जयपुर – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 28.07.21, 05.08.21, 12.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर अपीलार्थी द्वारा प्रेषित परिवाद जरिये ई–मेल दिनांक 03.03.2021 व जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 09.03.2021 के संबंध में (1) प्रार्थी द्वारा प्रेषित परिवाद पत्र मय अनुसंलग्नक की प्रमाणित प्रतियां, (2) उक्त परिवाद पर आप द्वारा अपने अधीनस्थ / संबंधित अधिकारियों को भेजे गये आदेश / निर्देश पत्र की प्रतिलिपि (3) राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निदेशालय विशेष योग्यजन के आदेश क्रमांक 12425 दिनांक 10.12.2019 जिसकी प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न है, की पालना में आप शिकायत प्रतितोष अधिकारी, कार्यालय द्वारा संधारित शिकायत रजिस्टर के आदिनांक तक सभी पृष्ठों की प्रमाणित प्रति आदि सूचनायें चाही गई थीं जिसके संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचना से असंतुष्ट होकर यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दु संख्या 1 के संबंध में अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक करौली को प्रेषित कर दिये जाने के कारण लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, करौली को अंतरित कर दिया गया था। पत्र की प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई थी। बिन्दु संख्या 2 व 3 के संबंध में पत्रांक 431 दिनांक 28.06.2021 द्वारा 70 पृष्ठीय सूचना प्रेषित कर दी गई है। अंत में अपील, अपीलार्थी निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 के संबंध में मूल आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक, करौली को मूल आवेदन पत्र प्रेषित कर दिये जाने के कारण लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करौली को अंतरित कर दिया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर करौली नहीं है। बिन्दु संख्या 2 व 3 के संबंध में अपीलार्थी को 70 पृष्ठीय सूचना प्रेषित की जा चुकी है लेकिन उक्त सूचना में जिस रजिस्टर की प्रति प्रेषित की गई है, वह सम्पूर्ण शिकायतों के रजिस्टर की प्रति है। केवल दिव्यांगजनों के रजिस्टर की प्रति नहीं है। अपीलार्थी को राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निदेशालय विशेष योग्यजन के आदेश क्रमांक 12425 दिनांक 10.12.2019 के क्रम में केवल दिव्यांगजनों के लिये शिकायत प्रतितोष अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा बनाये गये रजिस्टर की प्रति दिलाया जाना आवश्यक है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निदेशालय विशेष योग्यजन के आदेश क्रमांक 12425 दिनांक 10.12.2019 के क्रम में केवल दिव्यांगजनों के लिये शिकायत प्रतितोष अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली रजिस्टर संधारित करे एवं उसकी प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध करावे। बिन्दु संख्या 1 के संबंध में अपीलाथी संबंधित अपीलीय अधिकारी के न्यायालय में प्रथम अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली